


दिनांक- 13/12/19 को पेश हो।

13/12/19

पत्रावली पत्र हुई। बकलाय उप.
अधिकारी
दिनांक- 27/12/19 को पेश हो।

27/12/19 पत्रावली पेश हुई। प्रमाण में कई बार
आवाजे लगवायी जा चुकी है। वापस भवान
लावाने वकील उपीगण अथवा पदाकारण में
से कोई भी दामिद अदालत नहीं आया है।
अतः कार्यवाही प्रमाण अलग दामिदी एवं अलग
पेशी में खारिज की गयी है। पत्रावली फौजदारी
शुमार होकर नम्बर से कर दी तथा वापस
लम्बील दामिद बफर हो। यह निर्णय आज
दिनांक 27/12/19 को खुले न्यायालय में हुआ
गया।



(श्रीगोपीत सिंह)
सहायक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला